FORM NO. III

APP-A
Crim-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी ..... मुकाम ..... छोटूराम

प्रकरण ..... बनाम ..... गोपाल गौड

कदमा ..... प्रा०-पत्र अन्तर्गत निषेधाज्ञा ..... नं. ..... 24/2020 ..... सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
8/9/21	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। आवेदक सं. 1 लगायत 6 की ओर से प्रा०-पत्र पेश किया। प्रति वकील प्रार्थी (वादी) को दी गई। वकील पक्षकारानों की सहमति पर मूल प्रा० पत्र पर बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपने प्रा०-पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रा०-पत्र की धारा 2 में वर्णित भूमि आवेदक एवं विपक्षीगण सं. 1 लगायत 8 की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। आवेदक एवं विपक्षीगण 1 लगायत 3 की संयुक्त खातेदारी की पैतृक भूमि है। जिसको आवेदक एवं विपक्षी सं. 1 व 3 के पिता व विपक्षी सं.-2 के पति ने अपने जीवनकाल में भूमि का बटवारा कर दिया था तब से लेकर आज तक आवेदक एवं विपक्षी सं. 1 अपने हक व हिस्से के अनुसार 1/12, 1/12 हिस्से पर आवेदक एवं विपक्षी सं. 1 बराबर काबिज काश्त है। उक्त पैतृक संयुक्त खातेदारी की भूमि को बिना खातेदार विभाजन के विपक्षी सं.-1 के हक में दिनांक 24.2.20 को हकत्याग उप पंजीयक भण्डारा के यहां कराया दिया है। कानूनन हकत्याग मात्र अपने सभी पुत्रों के हक में एवं वहिन अपने सभी भाईयों के हक में कर सकती है सिर्फ एक भाई के हक में हकत्याग कराना विधि के प्रावधानों के विपरीत है। इस लिए सुविधा का सन्तुलन व आपसदारी को बिन्दु आवेदक के पक्ष में है। तः इसका प्रतिफल तक विपक्षी को अस्थाई निषेधाज्ञा के माध्यम से निषेध किया है। जिसके तर्क में विपक्षीगण अधिवक्ता ने तर्क किया कि आवेदक ने अपने हिस्से की जमीन का बयनामा अनावेदक सं.-6 को करा दिया व अनावेदक सं.-6 का कब्जा करा दिया है। जिस पर अनावेदक	

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

मकान के तामीर करके रह रहा है। आवेदक सं० 2 व 3 ने अपने हिस्से की जमीन का बेचान अपने भाई आवेदक सं०-1 को किया है इसलिये दरखास्त देहन्दा का कब्जा प्रथम दृष्टिया मामला है व बाकी सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति का बिन्दु अपने हक में है। इस लिए रिकार्ड खातेदार के विरुद्ध निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। प्रा०-पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश खारिज करने का निवेदन किया है। हमने प्रा०-पत्र के कथनों, प्रा०-पत्र में वर्णित तथ्यों व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का सम्यक् पूर्वक अवलोकन करते हुए पक्षकारान पर जबानी बहस सुनी। न्याय का सुस्थापित सिद्धान्त है कि रिकार्ड खातेदारों के विरुद्ध निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती तथा पंजीकृत दस्तावेजों को खारिज करने का अधिकार सिविल न्यायालय को है। इस प्रकार यह प्रार्थना-पत्र आदेश स्वीकार होने या खारिज होने से पक्षकारों के हक हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि मूल वाद में सभी न्यायालय द्वारा पक्षकारों के हक हितों तय होने है अतः अतः सभी तथ्यों के मद्देनजर प्रार्थी आवेदक का यह प्रा०-पत्र पोषणीय नहीं होने पर इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर हो। यह वाद तकमीली मूल वाद से सम्बन्ध होकर दायिका दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।

09.09.2021